झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश सं०— 8/ज०स०(नि०)विविध —15/2010:— रांची, दिनांकः—

आदेश

श्री हरिनारायण गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, बागमती प्रमण्डल संख्या—1, सीतामढ़ी के विरूद्ध बलीगढ़ स्लुइस सड़क निर्माण एवं सुरक्षा कार्य योजना में अनियमितता का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर विभागीय पत्रांक 1478 दिनांक 24.07.2011 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गुप्ता को विभागीय आदेश ज्ञापांक 842 दिनांक 30.01.14 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः—

(I) चेतावनी।

(II) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा विभाग में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार करते हुए श्री गुप्ता को आरोप मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर माननीया विभागीय मंत्री महोदया के अनुमोदनोपरांत राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रप्त कर विभाग ने श्री गुप्ता के अपील अभ्यावेदन के आलोक में श्री हरिनारायण गुप्ता को उक्त आरोप से आरोप मुक्त किया जाता है।

3. उक्त कंडिका— 2 के प्रस्ताव पर माननीया विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4. उक्त कंडिका— 2 पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/—

(डा० लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः— 4001 रांची, दिनांकः— 12-9-14

प्रतिलिपिः— सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री हरिनारायण गुप्ता, सहायक अभियंता, औरंगा निर्माण अवर प्रमंडल सं०—2 पॉकी, शिविर मेदिनीनगर/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा० लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

12.9.14